राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1386/2011/अलवर

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत–प्रथम, भिवाडी, अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

एस. आर. फोइल्स एण्ड टिश्यू लि.,
भिवाडी, अलवर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 13.06.2017

निर्णय

अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 43/आरवेट/2010–11/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 27.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत–प्रथम, भिवाडी, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2010 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25(1), 55, 61 व 78(5) के तहत आरोपित कुल मांग राशि रूपये 11,59,521/– में से 6,86,691/– को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 05.06.2009 को करने पर कुछ दस्तावेजों को करापवंचन के संदेह में अधिनियम की धारा 75(4) के अन्तर्गत अभिगृहित किया गया, एवं पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् सर्वे लिये गये स्टॉक का मिलान रजिस्टर से किया। जिसमें अनियमितता पाई जाने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, जिससे असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने कुल मांग राशि रूपये 11,59,521/– कायम की। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.10.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि रूपये 11,59,521/– में से 6,86,691/– को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा।

अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा व्यवसायी का सर्वेक्षण दिनांक 05.06.2016 को किया गया था। वक्त सर्वे पाया गया कि व्यवसायी दो सेट स्टॉक रिसिप्ट बाउचर (एस आर वी) रख रहा था। वक्त जांच 5 (एस आर वी)का इन्द्राज फैक्ट्री के इनवार्ड गेट रजिस्टर पर नहीं पाया गया। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि व्यवसायी ने उक्त खरीद को नियमित खरीद रजिस्टर में दर्ज नहीं किया एवं सर्वेक्षण के पश्चात 50ए, 51ए, 61ए, 65ए तथा 66ए के रूप में दर्ज कर लिया गया। ऑडिट के इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड में इन्द्राज बाद में किया गया है जो व्यवसायी की पश्चात्वर्ती सोच (After thouhgt) है ।अतः कर एवं शास्ति से बचने हेतु इन पांचों बिलों का इन्द्राज बाद में किया गया है जो व्यवसयी की करापवंचना की मनोदशा सिद्ध करता है ।

राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। व्यवसायी ने जब सभी खरीद माल का फैक्ट्री के गेट पर संधारित रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है, तो इन पांच Store inward vouchers का इन्द्राज नहीं पाया जाना व्यवसायी की करवंचना की नियत को प्रमाणित करता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के पश्चात् इनका खरीद रजिस्टर में इन्द्राज 50ए, 51ए, 61ए, 65ए तथा 66ए के रूप मे किया गया । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त खरीद बिलों का इन्द्राज वक्त जांच/सर्वेक्षण के समय inward register में नहीं पाया गया। उक्त विगत अभियोग पत्रावली के पेज 8 से 14 पर उपलब्ध है । अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों का विवेचन सही परिप्रेक्ष्य में नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि विवादित माल की एन्ट्री लेखा पुस्तकों में थी परन्तु उसका सत्यापन नहीं किया गया । इसके अलावा फैक्ट्री गेट पर संधारित किये जाने वाला इनवर्ड एन्ट्री रजिस्टर कोई नियमित दस्तावेज नहीं है, जिसको संधारण किया जाना आरवैट एक्ट या अन्य किसी कानून में आवश्यक हो। इसी आधार पर कर व शास्ति को अपास्त किया गया है। यहां यह विचारणीय बिन्दु है कि व्यवसायी के व्यवसाय स्थल पर जब सभी खरीद बिलों का इन्द्राज इनवर्ड एन्ट्री रजिस्टर में पाया गया तो केवल इन्हीं पांच बिलों का इन्द्राज क्यों नहीं पाया गया। इसके अलावा उक्त बिलों को इन्द्राज नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया। इसके अलावा व्यवसायी ने जो रिकार्ड व्यवसाय स्थल पर संधारित कर रखा था उनका ही जांच एवं परीक्षण करने पर उक्त विवाादित पांच स्टोर इनवर्ड बाउचर्स का जमा खर्च नहीं पाया गया और बाद में सर्वेक्षण के पश्चात कर एवं शास्ति से बचने के हेतु खरीद रजिस्टर में क्रमांक 50ए, 51ए, 61ए, 65ए एवं 66ए के रूप में इन्द्राज करके प्रस्तुत किया गया । यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उक्त

खरीद का छिपाव करवंचना की नियत से किया गया था, जिस पर पूर्ण विचार किये बिना ही अपीलीय अधिकारी ने कर एवं शास्ति का अपास्त किया है, जो प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश इस बिन्दु पर उचित नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है।

अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर रू. 2,28,897/– व अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 4,57,794/– को बहाल (Restore) किया जाता है। अपीलीय अधिकारी का आदेश कर रू. 2,28,897/– एवं शास्ति रू. 4,57,794/–के बिन्दु की सीमा तक अपास्त किया जाकर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष